इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफ़ोलियो में निवेश जोखिम को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा.

''यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद, कॉन्ट्रैक्ट के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते हैं. पॉलिसीधारक, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस उत्पादों में निवेश किए गए पैसे को पाँचवें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरेंडर या वापस नहीं ले पाएंगे.''

## एसबीआई लाइफ - स्मार्ट वेल्थ एश्योर क्यों?

जब आप हर अवस्था में अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं तो जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है. अब, आपके पास एसबीआई लाइफ - स्मार्ट वेल्थ एश्योर एक इंडिविजुअल, यूनिट-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद के साथ अधिक लाभ हासिल करने की शक्ति है जो सिर्फ एक बार भुगतान करते हुए आपकी संपत्ति को बढ़ाता है और आपके परिवार को सुरक्षित करता है.

## मुख्य विशेषताएँ

- **सुरक्षा :** किसी दुर्भाग्यपूर्ण बीमित घटना के मामले में परिवार के लिए आर्थिक आधार
- **एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट विकल्प** के साथ सुरक्षा को बढ़ाने का विकल्प
- 7 फंडों का विकल्प – **बॉण्ड फंड, इक्विटी फंड, बैलेंस्ड फंड, बॉण्ड ऑप्टिमाइज़र फंड, कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड, मनी मार्केट फंड और प्योर फंड** – जो मार्केट लिंक्ड प्रतिफल देते हैं.
- 5वीं पॉलिसी वर्षगाँठ के बाद आंशिक निकासी के ज़रिए **नकदीकरण**
- **केवल एक बार** भुगतान करें और पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान लाभ पाएँ
- **कर की बचत$ :** आयकर कानून 1961 के अंतर्गत विद्यमान मानकों के अनुसार

$कर लाभ विद्यमान कर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं.

## उदाहरण

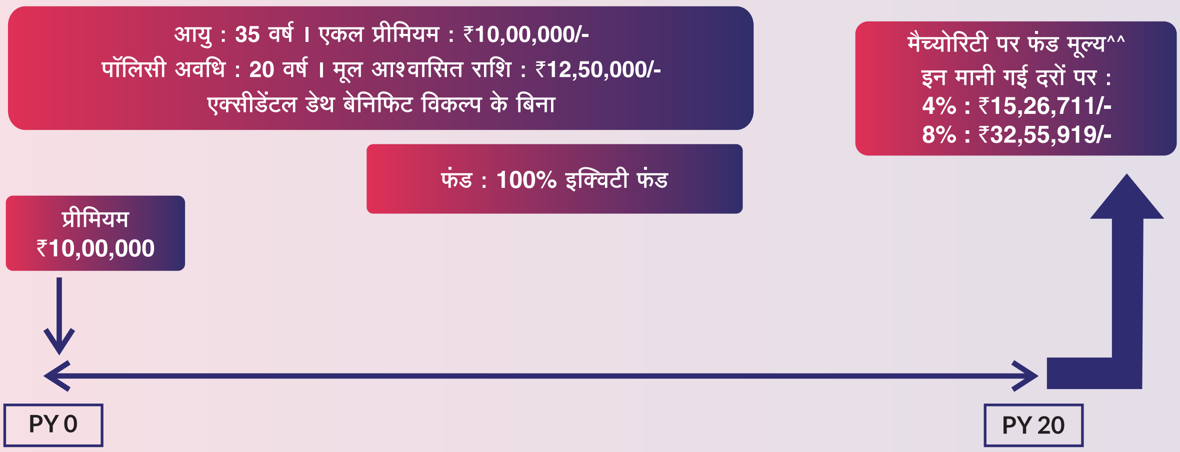


^^फंड मूल्य संबंधी आँकड़े उदाहरण के उद्देश्यों से हैं और वे स्वस्थ जीवन के लिए हैं. कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित 4% और 8% प्रति वर्ष की मानी गई रिटर्न की दरें क्रमश: लागू प्रभारों पर विचार करने के बाद इन दरों पर केवल उदाहरणात्मक परिदृश्य हैं. ये गारंटीशुदा नहीं हैं और ये रिटर्न की उच्चतर या निम्नतर सीमाएँ नहीं हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बाज़ार के जोखिम के अधीन हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स, संबंधित फंड्स के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पॉलिसी विशिष्ट लाभ उदाहरण के लिए निवेदन करें.

## योग्यता मापदंड

| | | |
|---|---|---|
| **प्रवेश पर आयु^** | **न्यूनतम :** 8 वर्ष | **अधिकतम :** 60 वर्ष |
| **परिपक्वता (मैच्योरिटी) पर आयु^** | **अधिकतम :** 70 वर्ष | |
| **प्रीमियम (₹100 के गुणकों में)** | **न्यूनतम :** ₹50,000 | **अधिकतम :** कोई सीमा नहीं** |
| **प्रीमियम का प्रकार** | एकल प्रीमियम | |
| **पॉलिसी अवधि** | **न्यूनतम :** 10 वर्ष | **अधिकतम :** 30 वर्ष |
| **मूल आश्वासित राशि**** | एकल प्रीमियम x 1.25 | |
| **एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट विकल्प** | **प्रवेश आयु न्यूनतम :** 18 वर्ष | **अधिकतम :** 60 वर्ष |
| | **अधिकतम परिपक्वता आयु :** 70 वर्ष | |
| | **आश्वासित राशि न्यूनतम :** ₹25,000 | **आश्वासित राशि अधिकतम :** ₹50 लाख$$ |

*^आयु के सभी संदर्भ पिछले जन्मदिन पर आयु से हैं.*

***कोई सीमा नहीं : प्रीमियम/मूल आश्वासित राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग नीति के अधीन होगी.*

*$$एकल जीवन के लिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के लिए ऊपर वर्णित ₹50 लाख की सीमा एसबीआई लाइफ से ली गई सभी पॉलिसियों के अंतर्गत आश्वासित राशि से संबंधित हैं.*

विभिन्न प्रभार जैसे कि 'प्रीमियम आवंटन प्रभार', 'पॉलिसी प्रशासन प्रभार', 'फंड प्रबंधन प्रभार' इत्यादि की कटौती की जाती है. प्रीमियम आवंटन प्रभार और मॉर्टेलिटी प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के साथ संशोधन के अधीन के होंगे. प्रभारों और उनकी गणनाओं की पूरी सूची के लिए कृपया सेल्स ब्रोशर पढ़ें.

## रियायतों की निषिद्धता

**समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :**

क) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित विवरण पुस्तिका या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई हो.

ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है.

**Toll-free No.:** 1800 267 9090 | SMS **'LIBERATE'** to 56161 | **Email:** info@sbilife.co.in | **Web:** www.sbilife.co.in
(Between 9.00 am & 9.00 pm)

एसबीआई लाइफ – स्मार्ट वेल्थ एश्योर एक इंडिविजुअल, यूनिट–लिंक्ड, नॉन–पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है.

**<u>फ़र्ज़ी फोन कॉल्स और जाली/धोखाधड़ी के ऑफ़र्स से सावधान :</u>**
IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है. इस प्रकार के फोन कॉल्स प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज़ करें.

यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद पारंपरिक इंश्योरेंस उत्पादों से अलग होते हैं और ये बाज़ार के ज़ोखिमों के अधीन हैं. यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, पूँजी बाज़ार से संबंधित निवेश जोखिम के अधीन होता है और यूनिट की एनएवी, फंड की कार्यकुशलता तथा पूँजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर कम या अधिक हो सकता है, और अपने निर्णय के लिए पॉलिसीधारक/बीमित स्वयं उत्तरदायी है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है और एसबीआई लाइफ – स्मार्ट वेल्थ एश्योर एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, और यह किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं है. कृपया संबंधित जोखिम तथा लागू प्रभारों की जानकारी के लिए अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ से सम्पर्क करें या अपने बीमाकर्ता के पास मौजूद दस्तावेज देखें. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग–अलग फंड्स केवल फंड के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं तथा रिटर्न का संकेत नहीं हैं. फंड विकल्पों का पिछला कार्यनिष्पादन भावी कार्यनिष्पादन का संकेत नहीं करता. इस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी लाभ कर कानूनों और समय समय पर प्रभावी अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें. जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें. ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111** | CIN : L99999MH2000PLC129113.

NW/55/ver1/02/22/SP/HIN